मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–14
ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष– 0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)– डिवार / कालीकृत–25 / 2023– 17 / पटना, दिनांकः–

आदेश

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा के पत्रांक–408 दिनांक–31.01.2023, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना के पत्रांक–265 दिनांक–02.02.2023 एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–368 दिनांक–03.02.2023 द्वारा संवेदक श्री हिमांशु कुमार, मोहल्ला–पूर्वी टोला, ग्राम+पो0–बख्तियारपुर, जिला–पटना, पिन कोड–803212 निबंधन सं0–ल0ज0सं0वि0–179 / 2019 श्रेणी–02 (द्वितीय) को निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–02 / 2021–22 के ग्रुप सं0–07 (बबनडीहा पईन योजना का जिर्णोद्धार कार्य) एवं ग्रुप सं0–06 (मेयार आहर पईन योजना का जिर्णोद्धार कार्य) में डाले गये एक्सभेटर मशीन का शपथ पत्र एवं फर्जी कागजात के साथ निविदा में भाग लेने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए इन्हें कालीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक–127 दिनांक–24.02.2023 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। कारण पृच्छा के क्रम में संवेदक का पत्रांक–शून्य दिनांक–03.02.2023 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक–28.03.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में संवदेक ने स्वीकार किया है कि उक्त निविदाओं वे अपना निबंधन पेपर दूसरे आदमी को दिये थे तथा उन्होने ही फर्जी कागजात डाला था, जबकि Sub-lettering भी अपराध है। संवेदक का यह कहना कि कागजात से ये अंजान था स्वीकार योग्य नहीं है क्योकि निविदा के संलग्न कागजात एवं अभिलेख की सही जानकारी होने की शपथ पत्र भी निविदा के साथ संलग्न किया जाता है। संवेदक द्वारा दिनांक–28.03.2023 के स्पष्टीकरण में एक्सभेटर मशीन के स्वामी श्री सतीश कुमार यादव ने कभी भी विभाग के समक्ष कोई लिखित शिकायत नहीं किया है कि उनके नाम पर समर्पित शपथ पत्र जाली है और उसका हस्ताक्षर भी जाली है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा द्वारा एक्सभेटर मशीन का शपथ पत्र का सत्यापन श्री सतीश कुमार यादव से कराया गया है जिसमें सतीश कुमार ने दिनांक–08.06.2022 को स्पष्ट किया है कि यह शपथ पत्र मेरे द्वारा नहीं किया गया और न ही मेरा हस्ताक्षर है जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा द्वारा किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में विषय की महत्ता के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में संवेदक श्री हिमांशु कुमार, मोहल्ला–पूर्वी टोला, ग्राम+पो0–बख्तियारपुर, जिला–पटना, पिन कोड–803212 निबंधन सं0–ल0ज0सं0वि0–179 / 2019 श्रेणी–02 (द्वितीय) को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली– 2007 के नियम –11 (क) (vii) में निहित शर्तो एवं प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

12/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

12/04/023

E:\New folder-2023\197.docx

पत्रांकः– 308 /पटना, दिनांकः– 12/04/2023

प्रतिलिपि– श्री हिमांशु कुमार, मोहल्ला–पूर्वी टोला, ग्राम+पो0–बख्तियारपुर, जिला–पटना, पिन कोड–803212 निबंधन सं0–ल0ज0सं0वि0–179/2019 श्रेणी–02 (द्वितीय) को सूचनार्थ प्रेषित।

12/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

12/04/2023

पत्रांकः– 308 /पटना, दिनांकः– 12/04/2023

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कार्य विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण भवन/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

12/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

12/04/2023

पत्रांकः– 308 /पटना, दिनांकः– 12/04/2023

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

12/04/2023

E:\New folder-2023\197.docx